

नौदल आधिकारी, निर्वाचन अय अर्जदीक्षण
जिला-बीजापुर (ख.ग.)

Moty

1. श्री राजदीप सिंह (IA&AS) अय प्रक्षक, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-89, बीजापुर को सादर सूचनाई।
2. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन आधिकारी, जिला बीजापुर को सादर सूचनाई।
3. श्री सुनील तिवारी, सहायक सवालक जनसंपर्क बीजापुर को सर्वसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशनाई।
4. श्री देवेन्द्र साहू, जिला सूचना विज्ञान आधिकारी, बीजापुर को जिले की वेबसाईट में प्रकाशनाई।

प्रतिनिधि-

प. क्रमांक / वि.स.निर्वा. / EEM / 2018

1139A

बीजापुर दिनांक 4 / 11 / 2018

नौदल आधिकारी, निर्वाचन अय अर्जदीक्षण
जिला-बीजापुर (ख.ग.)

Moty

विधानसभा निर्वाचन 2018 की प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्रतिबंध लगाया जाता है।
अतएव एतद्वारा रुपये 50,000.00 एवं उससे अधिक की नगदी निकाली एवं जमा पर छलीसगढ़
रख पाना समभव से परे हो गया है।
सदमित पत्र क्रमांक-01 द्वारा भारत निर्वाचन आयोग ने सभी बैंकों से सदित्थ नगद लेन-देन की सूचना की
अधिका की है। इस तारतम्य में सदमित पत्र क्रमांक-02 एवं कायालयीन बैठक द्वारा सदित्थ लेन-देन की सूचना हेतु
निर्देश जारी किए गए हैं। परंतु जिले के आधिकारी बैंकों द्वारा आज पर्यन्त कोई सूचना नहीं दी गई है। कुछ बैंकों से
प्राप्त सूचना में सदित्थ लेन-देन करने वाले खाताधारकों के संपर्क नंबर एवं पते का अभाव होने से यथावित्त नियंत्रण
रख पाना समभव से परे हो गया है।

-00-

विषय- सदित्थ नगदी निकाली एवं जमा पर प्रतिबंध।
सदम्- 1. भारत निर्वाचन आयोग का पत्र सं. 61 / शिक्षा/आ.प.-जी.स. / 2012 / ई ई पी एस दिनांक 19.07.2012
2. इस कायालय का पत्र क्रमांक / 1041 / वि.स.निर्वा. / EEM / 2018 बीजापुर दिनांक 26 / 10 / 2018

जिला बीजापुर (ख.ग.)

2. सभी बैंक शाखा प्रबंधक

जिला बीजापुर (ख.ग.)

लीड बैंक अधिकारी

1. श्री के.एम. अमरवाल

प्रति

क्रमांक / 1139 / वि.स.निर्वा. / EEM / 2018

बीजापुर दिनांक 4 / 11 / 2018

कायालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन आधिकारी
जिला बीजापुर (छलीसगढ़)